न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 21/2018

अपीलांट्स– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स	रेस्पोडेंट्स
1. हरजीराम पुत्र जेठाराम 2. गिरधारीराम पुत्र जेठाराम 3. नेनाराम उर्फ गेनाराम पुत्र जेठाराम 4. पीराराम पुत्र मालाराम 5. शान्तिदेवी पत्नी मालाराम जाति सुथार निवासी सनुराताल पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र सरली तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर	1. आदाराम पुत्र मंगलाराम उर्फ मंगनाराम 2. मालाराम पुत्र मंगलाराम उर्फ मंगनाराम 3. रामाराम पुत्र मंगलाराम उर्फ मंगनाराम 4. टीकमाराम पुत्र राजूराम जाति सुथार निवासी डूडियों का ढाणी पटवार मण्डल बेरीवाला तला भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र सरली तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.11.2010 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री चेतनराम सारण, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 01से04 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 5 की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 23/07/2019

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा मौजा बेरीवाला तला (सनूरा) रावतसर व डूडियों की ढाणी के खसरा नम्बर क्रमशः 1396, 1403, 1404, 1405 रकबा क्रमशः 24–18, 00–06, 01–00, 148–08 बीघा कुल रकबा 174–12 बीघा व मौजा रावतसर के खसरा नम्बर 544, 545 रकबा 00–04, 32–12 बीघा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 25.11.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.03.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु

जिला कलक्टर बाड़मेर

धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 25.11.2010 राजस्व अभियान के दौरान बिना भौतिक जांच एवं पैमाईश पारित करने मे विधिक भूल की गई हैं। अपीलांट्स अनपढ़ है जिन्होने इस विश्वास के साथ विभाजन हेतु सहमति प्रदान की थी पीढ़ियों से किये गये बाहमी बंटवाड़े अनुसार विभाजन किया जा रहा हैं। रेस्पोडेंट्स ने हल्का पटवारी से मिलावट कर अच्छी से अच्छी भूमि जो अपीलांट्स के कब्जे–काश्त की थी धोखे से नजरी नक्शे मे अपने हिस्से मे अंकित करवा दी। अपीलांट्स को उक्त बंटवाड़े के ज्ञान नही था तथा जब इसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 127 दिनांक 08.01.2018 को भरवाने के बाद अपीलांट्स को अपने कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी गई तो तहसील कार्यालय से विभाजन की नकलें दिनांक 12.03.2019 को प्राप्त हुई तब ज्ञान हुआ। इस प्रकार अपीलाधीन विभाजन की जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

3. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि तहसीलदार बाड़मेर ने अपने आदेश दिनांक 25.11.2010 मे बिना हिस्सा घोषित किये ही राजस्व नियमों के विपरित विभाजन आदेश पारित किया गया हैं। अपीलाधीन विभाजन कार्यवाही प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान आनन–फानन मे बिना मौका देखे एवं अपीलांट्स को धोखे मे रखते हुए सम्पन्न की गई है। विभाजन आदेश के संलग्न बंटवाड़ा नक्शा खातेदारान के वास्तविक कब्जा–काश्त एवं ढाणियों की स्थिति से भिन्न है व अपीलांट्स को विभाजन मे उबड़–खाबड़ व धोरे की जमीन अधिक दी गई है जबकि रेस्पोडेंट्स को समतल व अच्छी जमीन दी गई हैं। विभाजन आदेश की अनुपालना भी राजस्व नियमों के अनुसार नहीं की जाकर खानापूर्ति के तहत किये गये बंटवाड़ा नक्शे का सीधे ही नक्शा लट्ठा ट्रेस मे अंकन कर दिया। ऐसी स्थिति मे विभाजन के द्वारा की गई तरमीम भी निरस्त योग्य हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया विभाजन आदेश दिनांक 25.11.2010 निरस्त फरमाया जावें तथा इस आदेश के द्वारा नक्शा लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम को भी निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंन्ट्स ने आपसी सहमती से करवाए गये बंटवाड़े के अनुसार वादग्रस्त भूमि की अलग-अलग तरमीम की जा चुकी है जिसका नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकन हो गया है तथा मौके पर पक्षकारान का इसी अनुसार कब्जा काश्त वक्त सैटलमेंट से आपसी सहमति से बाहमी तौर पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार है। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान कोई उजर-ऐतराज नहीं किया गया जबकि अपीलांट को विभाजन की प्रारम्भ से ही जानकारी थी। अपीलांट्स का यह कथन सरासर गलत हैं कि वे अनपढ़ है जबकि पढे-लिखे व कुछ नौकरी पेशा है जिन्होने से विभाजन के समय सम्पूर्ण कार्यवाही को पढ़-समझकर अपनी स्वतंत्र सहमति प्रदान की थी। इस प्रकार अपीलांट्स का यह कथन गलत हैं कि उसे अपीलाधीन विभाजन आदेश की जानकारी 12.03.2018 को हुई हैं। इस प्रकार अपीलांट ने न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह किया गया हैं जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्त के विरूद्ध होने से अपीलांट की यह अपील निरस्त योग्य हैं। रेस्पोडेंट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि मयाद के बिन्दु पर अपीलांट की यह अपील खारिज योग्य होने के साथ ही गुणावगुण पर भी बलहीन हैं। पक्षकारान द्वारा अपनी भूमि का विभाजन कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में बाहमी बंटवाड़े के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार किया गया था जिसे अपीलांट्स ने स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान किए थे तथा स्वयं अपीलाट्स तहसीलदार के समक्ष पेश हुए हैं। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु पूर्ण सहमती प्रदान की थी। वर्तमान में अपीलांट के नियत में खोट आने के कारण रेस्पोडेन्ट्स की विकसित की गई भूमि को हड़पने की नियत से मनगढ़त एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत यह अपील पेश की गई है जो मयाद बाहर है तथा विलम्ब का असत्य कारण प्रकट नहीं किया गया है, ऐसे में प्रस्तुत अपील सव्यय खारिज फरमाई जावे।

5. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेखों का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स ने प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का सहमति से विभाजन कराने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष सहमति विभाजन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार बाड़मेर ने समस्त खातेदारान की उपस्थिति एवं उनकी ओर से

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

हस्ताक्षर अंगुष्ठ की पहचान करवाते हुए विभाजन पत्र स्वीकार किया गया हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि अपीलांट्स अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति हैं जो केवल अपने हस्ताक्षर करना जानते हैं जिन्हे विभाजन नक्शा की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नही था। अधिवक्ता अपीलांट्स का यह कथन विधि के समक्ष कतई मानने योग्य प्रतीत नही होता हैं क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति के लिए कोई भिन्न प्रावधान नही किये गये हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत खातेदारान की ओर से सहमति का विभाजन इकरारनामा प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा उसे पढ़कर सुनाया एवं समझाया जावेगा तथा सहमति के उपरांत तस्दीक किया जावेगा। अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि पक्षकारान ने स्वंय उपस्थित होकर विभाजन पत्र तहसीलदार बाड़मेर से समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिनकी पहचान खरथाराम चौधरी, सरपंच ग्राम पंचायत बेरीवाला तला द्वारा की गई है। तहसीलदार बाड़मेर ने अपने आदेश मे स्पष्ट अंकित किया हैं कि "इकरारनामा के सभी सम्बद्ध पक्षकारों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया। इकरारनामा पढ़कर सुनाया गया व समझाया गया। सभी पक्षकार सहमत है। भूमिधारी की हैसियत से मुझे इस विभाजन में कोई आपत्ति नहीं हैं। इकरारनामे के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद करने तथा नक्शा ट्रेस मे तरमीम करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।" इस प्रकार अपीलांट्स का यह कथन कि उन्हे धोखे मे रखकर विभाजन कराया गया है, मानने योग्य नही है तथा इस विभाजन की जानकारी उन्हे उसी दिन हो गई थी। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान की उपस्थिति एवं उनकी सम्पूर्ण सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, जिसकी जानकारी उसी दिन अपीलांट को हो गई थी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपील के प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब के सम्बन्ध मे गलत तथ्य प्रस्तुत किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की उपस्थिति मे ही पारित किया गया है। इस प्रकार विभाजन की जानकारी अपीलांट्स को हो गई थी इसके बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उक्त विभाजन की जानकारी दिनांक 12.03.2018 को होने का सरासर गलत तथ्य प्रस्तुत किया है। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि अपीलांट न्यायालय के समक्ष साफ हाथों एवं स्वच्छ मानसिकता से नहीं आया है तथा गलत तथ्य प्रकट कर न्यायालय को गुमराह किया जा रहा हैं, ऐसे मे अपीलांट न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। लिहाजा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अभिलेखीय तौर पर ही अपील मयाद बाहर है तथा विलम्ब का प्रस्तुत कारण गलत प्रकट किया है, साथ ही सहमति से कराये गये विभाजन के विरूद्ध अपील विचारण योग्य भी प्रतीत नही होती है। इस प्रकार अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर अधारित होने एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.2010 को यथावत बहाल रखा जाता हैं।

7. आदेश आज दिनांक 23.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर